न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 134 / 2022

मेघाराम उर्फ मेघा, आयु 86 वर्ष पुत्र गणेशा, जाति जाट, निवासी महरादासी, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. हरिसिंह आयु व्यस्क दत्तक पुत्र धापू, जाति राजपूत, निवासी धिरडौदा खारा, तहसील लाडनूं, जिला नागौर (राज0)
2. भैरूसिंह आयु व्यस्क पुत्र जतन कंवर, जाति राजपूत, निवासी धिरडौदा खारा, तहसील लाडनूं, जिला नागौर (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावा, जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 354 वाके ग्राम कोलाली दिनांक 22.07.2022 (26.07.2022)

उपस्थित

1. श्री शिवनारायण सिंह, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कमलेश झाझडिया, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट सं0 3 की ओर से।

आदेश

दिनांक 31.10.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार मण्डावा के नामान्तरकरण सं0 354 दिनांक 22.07.2022 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 सी0पी0सी0 के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 सी0पी0सी0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट्स के अनुसार अपील मे सारवान व संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 246 तादादी 2.43 हैक्टर वाके ग्राम कोलाली स्थित है जो जमीन गत खसरा नम्बर 62 / 1 तादादी 9 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम कोलाली से बने है। पुराना मूल खसरा नं0 62 के बटा नं0 62 / 2 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम कोलाली स्थित रहा है जिसके नये खसरा नं0 257 तादादी 1.59 हैक्टर वाके कोलाली के बाबत विवाद नही है। जमीन खसरा नं0 246 तादादी 2.43 हैक्टर व ख0न0 257 तादादी 1.59 हैक्टर वाके ग्राम कोलाली एक ही खाता मे रखे हुए है। इसलिए ख0न0 257 तादादी 1.59 हैक्टर का हवाला अपील मे दिया गया है। जमीन ख0नं0 246 तादादी 2.43 हैक्टर जो पुराना खसरा नं0 62 / 1 तादादी 9 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम कोलाली से बने है। मूल खसरा नं0 62 [illegible] वाके ग्राम कोलाली मे से बटा नम्बर 62 / 1 तादादी 9 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार [illegible] पहले अपीलान्ट का पिता गणेशा पुत्र मूंगा, जाति जाट, निवासी महरादासी र[illegible] रिकार्ड मे अपीलान्ट के पिता गणेश का नाम बतौर उपकृषक इस भूमि के राजस्व [illegible] जमाबन्दी आदि मे दर्ज रहा। झुंझुनूं जिला मे खातेदारी की जमीन की जमाबन्दियां संवत् 2012 मे बननी शुरू हुई। प्र[illegible]बन्दी संवत् 2012 से 2015 तक बनी। राजस्थान काश्तकारी अधिनि[illegible] 1955 तदनुसार संवत् [illegible] मे ही लागू हुआ जिसके प्रावधानों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भूमि का बतौर काश्तकार या उपकृषक जमाबन्दी बाबत 2012 मे दर्ज था वह व्यक्ति स्वतः ही अपनी कब्जे काश्त की भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया। झुंझुनूं मे खसरा गिरदावरी संवत् 2009 मे बनाई जानी शुरू की गई। प्रथम खसरा गिरदावरी संवत् 2009 से 2012 बनी। खसरा गिरदावरी संवत् 2009 से 2019 तक व 2030 से 2033 तक मे कृषि को काश्त करने वाले व्यक्ति का भी नाम दर्ज किया गया। खसरा गिरदावरियों से भी अपीलान्ट के पिता गणेशा का जमीन मूल खसरा नं0 62 तादादी 18 बीघा 18 बिस्वा मे से 1 / 2 भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:24 IST
Reason: SelfAttested

पर कब्जा काश्त बतौर उपकृषक संवत् 2010 अर्थात सन् 1953 से राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रभाव मे आने से पहले से व टीनेन्सी एक्ट के प्रभाव मे आने के समय कब्जा काश्त बतौर उपकृषक होना इस भूमि के राजस्व अभिलेख से प्रमाणित है। परन्तु बाद मे राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों को गलती से यह जमीन पेपसिंह पुत्र मोतीसिंह के नाम गलत दर्ज हो गई। अपीलान्ट के पिता गणेशा की मृत्यु के बाद खसरा गिरदावरी संवत् 2030 से 2033 मे अपीलान्ट का नाम दर्ज है जो अपीलान्ट का इस जमीन पर लगातार काश्त करते हुए बतौर खातेदार होना प्रमाणित करता है। उक्त अनुसार अपीलान्ट इस जमीन का खातेदार काश्तकार है व काबिज है। उक्त पेपसिंह का इस जमीन पर कभी कोई कब्जा या हक अधिकार नही रहा। उक्त पेपसिंह की दो पुत्रियां धापूं कंवर, जतन कंवर बताई जाती है। जिनका भी उक्त पेपसिंह की मृत्यु के बाद इस विवादित जमीन का कब्जा काश्त या अन्य किसी प्रकार से कोई संबंध नही रहा। उक्त पेपसिंह की पुत्रियां उक्त धापू कंवर जतन कंवर की बहुत पहले ही शादियां होकर वे दोनों अपने ससुराल धिरधौडा खारा तहसील लाडनूं जिला नागौर (राज0) चली गई। वहीं पर रही तथा इन दोनों ने भी विवादित जमीन के बाबत कभी किसी प्रकार का कोई क्लेम किसी सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत नही किया। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पेपसिंह का देहान्त होने के बाद भी इस जमीन का राजस्व रिकार्ड उक्त पेपसिंह के नाम से ही दर्ज न चलता रहा तथा उसकी पुत्रियों उक्त धापूं कंवर व जतन कंवर ने कभी भी अपनी अपीलान्ट्स की कब्जाशुदा विवादित भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम से करवाने का कोई प्रयास कभी नही किया। रेस्पोडेन्ट नं0 1, 2 ने तहसील मण्डावा मे विवादित जमीन के बाबत नामान्तरकरण अपने नाम से तस्दीक करवाकर इस भूमि के राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम दर्ज करवाने के लिए बाला बाला कार्यवाही की जिस पर दिनांक 29.06.2022 को तहसीलदार मण्डावा ने अपीलान्ट्स के कब्जा शुदा जमीन ख0न0 246 रकबा 2.43 हैक्टर व अन्य ख0न0 257 रकबा 1.59 हैक्टर वाके ग्राम कोलाली के बाबत 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम से तथा शेष 1/2 की हिस्से का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट नं0 2 के नाम से खोले जाने का आदेश दिया। तहसील मण्डावा के उक्त आदेश दिनांक 29.06.2022 की पालना मे रेस्पोडेन्ट नं0 3 ने अपीलान्ट को खोतदारी की व कब्जा काश्त की जमीन ख0न0 246 रकबा 2.43 हैक्टर व खसरा नं0 257 तादादी 1.59 हैक्टर वाके ग्राम कोलाली मे से 1/2 हिस्से की जमीन का नामान्तरकरण संख्या 354 वाके ग्राम कोलाली दिनांक 22.07.2022 जो दिनांक 26.07.2022 को तहसीलदार मण्डावा द्वारा विधि विरूद्व खोला जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम से तस्दीक किया है जो कानून के विरूद्व होने से तथा उक्त नामान्तरकरण से अपीलान्ट के हित प्रभावित होने से उक्त नामान्तरकरण से व्यथित होकर यह अपील नीचे लिखे उजरात के अनुसार पेश है। आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 354 दिनांक 22.07.2022 (26.07.2022) वाके ग्राम कोलाली खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। जब किसी भूमि के संबंध मे नामान्तरकरण पुर किया जाकर तस्दीक किया जाता है तो नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व संबंधित जमीन के भौतिक कब्जा के बारे मे जांच करवाई जाकर जिस व्यक्ति के नाम से नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना है उसका उस जमीन पर भौतिक कब्जा होना सत्यापित किया जाना आवश्यक होता है। यदि किसी व्यक्ति का संबंधित जमीन पर भौतिक कब्जा नही है तो उसके कब्जा के अभाव मे उस व्यक्ति के नाम से कानून से नामान्तरकरण तस्दीक नही किया जा सकता तथा इस प्रकार बिना कब्जा के पुर किये गये नामान्तरकरण की इसी आधार पर खारिज किये जाने का विधान है परन्तु प्रकरण मे पटवारी हल्का अथ्वा संबंधित गिरदावर हल्का ने बिना भौतिक कब्जा के बाबत जांच किये नामान्तरकरण खोला जाकर उसमे गोदनामा बतलाते हुए रेस्पोडेन्ट नं0 3 के समक्ष प्रस्तुत किया तथा रेस्पोडेन्ट नं0 3 तहसीलदार मण्डावा ने बिना किसी प्रकार की भौतिक कब्जा बाबत जांच करवाये दिनांक 26.07.2022 को नामान्तरकरण [illegible] विरूद्व आदेश दिया जो नामान्तरकरण उक्त परिस्थितयों मे खारिज होने योग्य [illegible] उक्त अनुसार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के सन् 1955 मे प्रभाव मे आने [illegible] खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा समस्त पुराने राजस्व रिकार्ड को बिना देखे [illegible] जमीन को पहले गलत रूप से उक्त पेपसिंह की खातेदारी मे दर्ज कर दिया [illegible] पर उक्त पेप सिंह का कभी कोई अधिकार नही रहा। रेस्पोडेन्ट नं0 3 नामान्तरकरण जैर बहस [illegible] दीक किये जाने से पूर्व यदि जमीन के भौतिक कब्जा के बाबत जांच करवाते तो इस जमीन पर भौतिक कब्जा अपीलान्ट का है। अपीलान्ट ने हमेशा की भांति इस साल भी जमीन खसरा नम्बर 246 तादादी 2.43 हैक्टर वाके ग्राम कोलाली मे बाजरा, मोठ, गवार की फसल काश्त की हुई है। अपनी जमीन के चारों तरफ तारबन्दी की हुई है तथा फसल की निराई करते हुए अपीलान्ट के परिवार के सदस्यों की फोटोग्राफी करवाई हुई है जो इस अपील के साथ प्रस्तुत की जा रही है। इन हालात मे उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:24 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट को नोटिस दिया जाकर सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद ही कार्यवाही की जानी चाहिए थी। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नं0 3 ने अपीलान्ट को बिना अवसर दिये व बिना मौके की जांच किये नामान्तरकरण जैर बहस गलत रूप से तस्दीक किया है जो विधि विरूद्व है। नामान्तरकरण जैर बहस बहस प्रभाव मे रहने से रेस्पोडेन्ट नं0 1 विवादित जमीन को किसी अन्य के हक मे ही आगे अन्तरित कर सकता है अथवा किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्था आदि से ऋण सुविधा आदि प्राप्त कर अपीलान्ट को हानि पहुंचा सकता है ऐसी स्थिति मे नामान्तरकरण जैर बहस को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 354 वाके ग्राम कोलाली दिनांक 22.07.2022 (26.07.2022) को निरस्त फरमाया जावे तथा भूमि खसरा नम्बर 246 तादादी 2.43 हैक्टर वाके ग्राम कोलाली का राजस्व रिकार्ड नामान्तरकरण तैर बहस से पूर्व के अनुसार रखे जाने का आदेश फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि जब किसी भूमि के संबंध मे नामान्तरकरण पुर किया जाकर तस्दीक किया जाता है तो नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व संबंधित जमीन के भौतिक कब्जा के बारे मे जांच करवाई जाकर जिस व्यक्ति के नाम से नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना है उसका उस जमीन पर भौतिक कब्जा होना सत्यापित किया जाना आवश्यक होता है। यदि किसी व्यक्ति का संबंधित जमीन पर भौतिक कब्जा नही है तो उसके कब्जा के अभाव मे उस व्यक्ति के नाम से कानून से नामान्तरकरण तस्दीक नही किया जा सकता तथा इस प्रकार बिना कब्जा के पुर किये गये नामान्तरकरण की इसी आधार पर खारिज किये जाने का विधान है परन्तु प्रकरण मे पटवारी हल्का अथ्वा संबंधित गिरदावर हल्का ने बिना भौतिक कब्जा के बाबत जांच किये नामान्तरकरण खोला जाकर उसमे गोदनामा बतलाते हुए रेस्पोडेन्ट नं0 3 के समक्ष प्रस्तुत किया तथा रेस्पोडेन्ट नं0 3 तहसीलदार मण्डावा ने बिना किसी प्रकार की भौतिक कब्जा बाबत जांच करवाये दिनांक 26.07.2022 को नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का विधि विरूद्व आदेश दिया है। अपीलान्ट उक्त अनुसार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के सन् 1955 मे प्रभाव मे आने से पहले से बतौर उपकृषक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा समस्त पुराने राजस्व रिकार्ड को बिना देखे इस जमीन को पहले गलत रूप से उक्त पेपसिंह की खातेदारी मे दर्ज कर दिया गया जबकि उस जमीन पर उक्त पेप सिंह का कभी कोई अधिकार नही रहा। रेस्पोडेन्ट नं0 3 नामान्तरकरण जैर बहस तस्दीक किये जाने से पूर्व यदि जमीन के भौतिक कब्जा के बाबत जांच करवाते तो इस जमीन पर भौतिक कब्जा अपीलान्ट का है। अपीलान्ट ने हमेशा की भांति इस साल भी जमीन खसरा नम्बर 246 तादादी 2.43 हैक्टर वाके ग्राम कोलाली मे बाजरा, मोठ, गवार की फसल काश्त की हुई है। अपनी जमीन के चारों तरफ तारबन्दी की हुई है तथा फसल की निराई करते हुए अपीलान्ट के परिवार के सदस्यों की फोटोग्राफी करवाई हुई है। इन हालात मे उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलान्ट को नोटिस दिया जाकर सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद ही कार्यवाही की जानी चाहिए थी। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नं0 3 ने अपीलान्ट को बिना अवसर दिये व बिना मौके की जांच किये नामान्तरकरण जैर बहस गलत रूप से तस्दीक किया है जो विधि विरूद्व है। नामान्तरकरण जैर बहस बहस प्रभाव मे रहने से रेस्पोडेन्ट नं0 1 विवादित जमीन को किसी अन्य के हक मे ही आगे अन्तरित कर सकता है अथवा किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्था आदि से ऋण सुविधा आदि प्राप्त कर अपीलान्ट को हानि पहुंचा सकता है ऐसी स्थिति मे नामान्तरकरण जैर बहस को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 354 वाके ग्राम कोलाली दिनांक 22.07.2022 (26.07.2022) को निरस्त फरमाया जावे तथा भूमि खसरा नम्बर 246 तादादी 2.43 हैक्टर वाके ग्राम कोलाली का राजस्व रिकार्ड नामान्तरकरण तैर बहस से पूर्व के अनुसार रखे जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:24 IST
Reason: SelfAttested

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के कब्जे का हक अपील मे तय नही होता है। अपीलान्ट अपने हक व अधिकार दावे मे तय करवा सकता है। यदि रिकार्ड गलत भी बना है तो अपीलान्ट को उसे दुरूस्त करवाना चाहिए था। अपीलान्ट ने इतने साल रिकार्ड क्यों नही दुरूस्त करवाया। अपीलान्ट ने अपील के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा मे दावा किया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा द्वारा स्थगन आदेश भी अपील दर्ज होने के बाद जारी किया गया है। अपीलान्ट ने

यह नही बताया की नामान्तरकरण मे क्या अनियमितता है। अदालत मातहत ने बाद जांच नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकार किया है। अपीलान्ट की अपील चलने योग्य नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावें।

राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 3 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने बाद जांच नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकार किया है। अपीलान्ट की अपील उचित नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। बहस वकील पक्षकारान् एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात् से साफ जाहिर है कि वाके ग्राम कोलाली के कम मे भरा गया नामान्तरकरण संख्या 354 दिनांक 22.07.2022 (26.07.2022) बाद जांच स्वीकार किया गया है। अपील मे अपीलान्ट का हक तय नही किया जा सकता है। अपीलान्ट सक्षम न्यायालय मे ही दावे के माध्यम से अपने हक तय करवा सकता है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारीज की जाती है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:24 IST
Reason: SelfAttested